न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ,फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिला विरूद्ध अपराध), आजमगढ़।

प्रार्थना पत्र सं० **106/2023**

परवीन बानो बनाम शैलेश आदि।

थाना कप्तानगंज , जनपद आजमगढ़।

दिनांक 09.08.2023

1–पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया ।

2–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०संहिता का कथानक संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 16–04–2023 को सुबह बैनामा की जमीन पर गांव के शैलेश यादव आदि कब्जा करना चाहे तो हम लोग 100 नम्बर पर पुलिस को बुलायी। पुलिस काम को रोका तो पुनःकाम करने लगे तो पुलिस पुनः लौटकर आकर काम रोकवा दिया। समय 5–30 बजे प्रार्थिनी के गांव के ही मनबढ़ दबंग व्यक्ति शैलेश यादव, चन्देश ,रविकान्त यादव व विकास यादव ये लोग मिलकर प्रार्थिनी की विवादित जमीन में अपनी दीवाल जोड़वा रहे थे। प्रार्थिनी ने मना किया तो बुरी तरह से लाठी डण्डे से मारा पीटा तथा भददी–भददी गाली दिया और उसका कपड़ा फाड कर नंगा कर दिये ।

3– प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व डाक रजिस्ट्री, व आघात आख्या की छाया प्रति दाखिल किया।

4– थाना कप्तानगंज से प्रार्थना पत्र के प्रकाश में आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार प्रकरण में कोई अभियोग पंजिकृत नहीं है।

5– प्रार्थिनी ने विपक्षीगण शैलेश , चन्द्रेश ,रविकान्त यादव व विकास यादव पर घटना कारित करने का आरोप लगाया है।

6– In case of Smt Anjum v. State of U.P. 2008(1) J.I.C. 834 ALLAHABAD HIGH COURT **held that where the allegation of the commission of cognizable offence is supported by any such documents which levels to inspire the confidence of magistrate regarding the commission of cognizable offence, the magistrare must pass the order for the investigation such document may include medical report or some other cogent material of the like nature**.

7– उपरोक्त विधि व्यवस्थाओ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के प्रकाश में एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रश्नगत मामले में महिला के विरूद्ध गम्भीर एवं संज्ञेय अपराध कारित होना परिलक्षित होता है। मामले की विवेचना से ही सभी तथ्यो की सत्यता सामने आ सकती है। अतः मामले के समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं०स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र के आलोक में समुचित धाराओ में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या अन्दर सात दिन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि आदेश की एक प्रति अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० अविलम्ब प्रार्थी को अनुपालन हेतु प्रेषित कराना सुनिश्चित करे।

दिनांक 09–08–2023

न्यायिक मजिस्ट्रेट

फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिला) आजमगढ़।

जे०ओ०कोड सं०–3692